खेती में युवाओं के लिए अवसर

कार्यवृत्त

आयोजक

हरियाणा किसान आयोग

कृषि विभाग, हरियाणा

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

खेती में युवाओं के लिए अवसर

कार्यवृत्त

आयोजक

हरियाणा किसान आयोग

कृषि विभाग, हरियाणा

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

द्वारा

21 दिसम्बर 2013 को महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक में आयोजित

हरियाणा किसान आयोग

हरियाणा सरकार

सैक्टर–20, पंचकुला–134116

‘खेती में युवाओं के लिए अवसर’ पर संगोष्ठी का कार्यवृत्त

हरियाणा किसान आयोग द्वारा प्रकाशित

© 2014

बिक्री के लिए नहीं, केवल शासकीय उपयोग के लिए

डॉ. आर.एस. परोदा
अध्यक्ष
हरियाणा किसान आयोग

प्राक्कथन

नौजवानों के लिए रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराना न केवल भारत में, बल्कि अन्य विकासशील देशों में भी एक प्रमुख चुनौती है। भारत में नौजवानों की संख्या विश्व में सबसे ज्यादा है, अतः देश के सामने सभी को रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती है। हालांकि ग्रामीण और शहरी इलाकों में पिछले कुछ दशकों के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, लेकिन कार्य कुशल युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर उपलब्ध करा पाना संभव नहीं हो पाया है। ग्रामीण इलाकों में बहुत से युवक गैर–खेती वाले क्षेत्रों में रोज़गार में लगे हुए हैं, जबकि युवा महिलाएं खेती तथा डेरी के क्षेत्र में स्वरोज़गार में लगी हुई हैं जिसमें घरेलू कार्य भी शामिल हैं।

हरियाणा में भी युवाओं के लिए रोज़गार के मौके उपलब्ध कराना चिंता का प्रमुख विषय है। खेती से होने वाले लाभ के कम होने, प्राकृतिक संसाधनों के कमजोर होने तथा जोतों के आकार के घटने के कारण यह स्थिति और भी खराब हो गई है। इसलिए हरियाणा किसान आयोग ने युवाओं तथा प्रगतिशील किसानों के साथ पारस्परिक चर्चा करने के लिए कुछ संगोष्ठियां आयोजित की, ताकि युवाओं को खेती में बनाए रखने के लिए रोजगार तथा आमदनी से जुड़े मुद्दों को समझा जा सके।

हरियाणा में ग्रामीण युवाओं से व्यक्तिगत चर्चाओं के दौरान यह देखा गया है कि वे खेती को पेशे के रूप में अपनाने में बहुत रूचि नहीं रखते हैं जिसका मुख्य कारण खेती से होने वाली आमदनी का कम होना, भौतिक बुनियादी ढांचे का खराब होना, चिकित्सा संबंधी सुविधाओं की कमी और अनुकूल वातावरण का न होना है। इसके विपरीत ग्रामीण युवा अपनी कुशलता को बढ़ाने और विशेष रूप से खेती के मामले में ज्यादा से ज्यादा सीखने के लिए भी उत्सुक हैं। इसलिए इस दिशा में गहन प्रयासों की आवश्यकता है, ताकि उनकी कुशलता का विकास करके और वांछित तकनीकी और ऋण संबंधी सहायता उपलब्ध कराकर उनकी रूचि खेती में रखी जा सके। युवाओं को कृषि अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार में शामिल करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन देकर तथा खेती से होने वाली उपज की बिक्री के लिए अवसर बढ़ाकर, उनमें वांछित आत्मविश्वास उत्पन्न करने में बहुत सहायता मिलेगी और इस प्रकार उन्हें खेती को पेशे के रूप में अपनाने की दिशा में प्रेरित किया जा सकेगा।

हरियाणा में युवाओं के लिए जिन प्रमुख क्षेत्रों में उनकी कुशलता विकसित करने की जरूरत है उनमें भंडारण प्रबंधन, प्रसंस्करण, श्रेणीकरण और पैकेजिंग, ब्रांडिंग, विपणन, कृषि–पर्यटन, सूचना–संचार प्रौद्योगिकी, संसाधनों का सूक्ष्म प्रबंधन, खेती से उत्पन्न होने वाले कचरे का प्रबंधन, उच्च तकनीक वाली बागवानी, पशुपालन व डेरी, कुक्कुट पालन, मूल्य श्रृंखला प्रबंधन, मछली उत्पादन, मधुमक्खी पालन, फसल व पशु बीमा, यंत्रों और औजारों की मरम्मत व उनका निर्माण, कृषि कार्यो के लिए मशीनों को किराए पर देना प्रमुख हैं। इसके अलावा उद्यमशीलता के विकास के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षणों के माध्यम से अल्पकालीन प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रमों को लागू करने की भी तत्काल जरूरत है। मेरे विचार से कुशलता विकास संबंधी कार्यक्रमों को और अधिक व्यापक तथा दीर्घकालिक वित्तीय, तकनीकी और बाजार संबंधी सहायता उपलब्ध कराकर ग्रामीण युवाओं की रूचि को खेती में बनाए रखा जा सकता है।

ऐसी आशा है कि इस प्रकाशन में हरियाणा किसान आयोग द्वारा महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में 21 दिसम्बर, 2013 को 'खेती में युवाओं के लिए अवसर' पर आयोजित संगोष्ठी की सभी सिफारिशों को शामिल किया गया है। इसके माध्यम से ग्रामीण युवाओं में पेशे के रूप में खेती को अपनाने की दिशा में आकर्षण उत्पन्न होगा। इसके अतिरक्त इन सिफारिशों से नीति–निर्माताओं का ध्यान भी आकर्षित होने की संभावना है जिससे युवाओं को खेती में बनाए रखने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार होगा।

राजेन्द्र परोदा

(आर.एस.परोदा)

विषय–सूची

1	उद्घाटन सत्र और तकनीकी सत्र I : खेती में युवाओं के लिए अवसरों का परिदृश्य	1–6
2	तकनकी सत्र II : अनुकूल फसल प्रणाली के लिए युवा किसानों की नई खोजें तथा आय सृजन	7–13
3	तकनीकी सत्र III : युवाओं को बाजार के सम्पर्क में लाकर गौण तथा विशेषज्ञतापूर्ण कृषि में फार्म युवाओं के लिए आजीविका के अवसरों पर युवा किसानों के अनुभव	14–16
4	तकनीकी सत्र IV : पशुपालन में खेतिहर युवाओं के लिए आजीविका के अवसरों पर युवा किसानों के अनुभव – पशु उत्पादन से आगे बढ़ना	17–19
5	चिंतन सत्र : विभिन्न सत्रों की प्रमुख सिफारिशें	20–23
6	संगोष्ठी में वक्ता के रूप में भाग लेने वाले किसानों के नाम व पते	24
7	कार्यक्रम	25–26

हरियाणा किसान आयोग द्वारा महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक में 'खेती में युवाओं के लिए अवसर' पर आयोजित संगोष्ठी का कार्यवृत्त

उद्घाटन तथा तकनीकी सत्र I : खेती में युवाओं के लिए अवसरों का परिदृश्य

हरियाणा किसान आयोग ने कृषि विभाग हरियाणा और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली के सहयोग से महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक में 21 दिसम्बर, 2013 को **'खेती में युवाओं के लिए अवसर'** पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। इस संगोष्ठी में हरियाणा तथा पड़ोसी राज्यों के लगभग 250 प्रगतिशील किसानों के अलावा हरियाणा सरकार के कृषि, बागवानी, पशुपालन एवं मात्स्यकी विभागों; भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद; भारत सरकार के कृषि विभाग; चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार; इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट सैंटर और क्लाइमेट चेंज एंड एग्रीकल्चर फार सस्टेनेबिलिटी (CIMMYT and CCAFS) के लगभग 50 महानुभावों/ वैज्ञानिकों ने भाग लिया।

हरियाणा किसान आयोग के अध्यक्ष डॉ. आर.एस.परोदा ने मुख्य अतिथि के रूप में इस संगोष्ठी का उद्घाटन किया। इस संगोष्ठी में मुख्य ध्यान युवाओं को खेती की ओर आकर्षित करने से जुड़े विभिन्न विकल्पों के मूल्यांकन पर दिया गया। खेती से होने वाली आमदनी में कमी, प्राकृतिक संसाधनों के बिगड़ने, जोतों के आकार के घटने और युवाओं में परंपरागत खेती के प्रति रूचि में कमी वर्तमान की प्रमुख चुनौतियां हैं और इन्हीं के कारण युवा वर्ग खेती को नहीं अपना रहा है। परिचालनशील जोतों का औसत आकार जो 1970 के दशक में 3.77 हैक्टेयर था, वह 2011 में घटकर 2.23 हैक्टेयर रह गया। कुल कृषक परिवारों का लगभग 65 प्रतिशत भाग छोटे और सीमांत किसानों का है जिनके पास खेती के कुल क्षेत्र का 21 प्रतिशत भाग है। जोतों का आकार छोटा होने और प्राकृतिक संसाधनों के बिगड़ने के कारण खेती में जो लागत लगाई जाती है उससे होने वाली आमदनी कम होती जा रही है और खेती में रोजगार के अवसर भी घटते

जा रहे हैं। युवाओं को खेती की तरफ आकर्षित करना और उन्हें खेती में बनाए रखना तभी संभव है जब उन्हें वैज्ञानिक ज्ञान और नई तकनीकों से सम्पन्न किया जाए, उन्हें बाजारों के सम्पर्क में लाया जाए तथा खेती के लिए उचित नीतियाँ बनाई जाएं। इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

उद्घाटन सत्र का शुभारंभ हरियाणा किसान आयोग के सदस्य–सचिव डॉ. आर.एस. दलाल के स्वागत भाषण से हुआ। उन्होंने बताया कि हरियाणा किसान आयोग के अध्यक्ष डॉ. परोदा ने इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करके किसानों की समस्याओं और जरूरतों की गहराई से समीक्षा करने की लगातार कोशिश की है। उन्होंने कहा कि युवाओं की ऊर्जा और प्रतिभा का खेती में उचित रूप से उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि डॉ. परोदा ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने और आजीविका के बेहतर विकल्प, उचित साधन तथा अवसर उपलब्ध कराने के अवसरों के माध्यम से अनुकूल वातावरण तैयार करने के मामले में बहुत रूचि रखते हैं। यह संगोष्ठी वास्तव में उनके इसी विचार का परिणाम है। इन्ही कथनों के साथ डॉ. दलाल ने मुख्य अतिथि, अन्य महानुभावों, युवाओं तथा प्रगतिशील किसानों का स्वागत किया।

इसके पश्चात डॉ. के.डी.कोकाटे, उप महानिदेशक (कृषि विस्तार), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद; डॉ. जे.एस.संधु, कृषि आयुक्त, भारत सरकार; डॉ. ए.के.श्रीवास्तव, निदेशक, राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान; डॉ. एम.एल.जाट, दक्षिण एशिया समन्वयक, सिमिट–सीसीएएफएस; और डॉ. अर्जुन सैनी, महानिदेशक, बागवानी विभाग, हरियाणा सरकार जैसे वरिष्ठ विशेषज्ञों द्वारा तकनीकी प्रस्तुतीकरण दिए गए। सभी प्रस्तुतीकरणों में खेती के विभिन्न क्षेत्रों में उभरते हुए अवसरों के प्रति ग्रामीण युवाओं तथा अन्य संबंधित पक्षों को जागरूक बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया।

डॉ. के.डी.कोकाटे ने प्रस्तुतीकरण देते समय सदन को बताया कि खेती में युवाओं के लिए अनेक अवसर उभर रहे हैं। उनका कहना था कि भारत में विश्व की 1/5 जनसंख्या रहती है, अतः हमें खेती के विभिन्न क्षेत्रों में इस जनसंख्या के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने होंगे। वास्तव में, युवा वर्ग परंपरागत खेती को नहीं चाहता है, अतः नीतिकारों और वैज्ञानिकों का यह कर्तव्य है कि वे ऐसे कार्यक्रम विकसित करें जिनसे युवाओं में उन्नत प्रौद्योगिकियों और तकनीकों को अपनाने की दृष्टि से उनकी कुशलताओं को बढ़ाया

जा सके। उन्होंने बताया कि इस समय देश में 636 कृषि विज्ञान केन्द्र हैं जिनका उपयोग युवाओं में कुशलताओं के विकास के लिए किया जा सकता है। उन्होंने कुछ ऐसे उदाहरण दिए जिनमें युवाओं ने उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाकर न केवल अपनी नई पहचान बनाई बल्कि अपनी आमदनी भी बढ़ाई। उन्होंने जो महत्वपूर्ण उदाहरण दिए उनमें शामिल हैं फूलों के उत्पादन और केंचुए द्वारा खाद तैयार करने के लिए पंजाब का शेरगिल फार्म, श्री जे.पी.सिंह द्वारा मुजफ्फरनगर में स्थापित की गई पुष्पकृषि के लिए पौधशाला, श्री रघुबीर सिंह द्वारा लाहोल स्पिति में स्थापित किया गया बेमौसमी सब्जियों का फार्म, महिला कृषक कुमारी मिसाओ द्वारा नागालैंड में स्थापित किया गया अनन्नास फार्म, लखनऊ में टिश्यू कल्चर केला फार्म, नासिक में पॉलीहाउसों में गुणवत्तापूर्ण बीजों का उत्पादन, कृषि विज्ञान केन्द्र, चोमू के अंतर्गत राजस्थान में सार्वजनिक–निजी साझीदारी प्रणाली में सब्जी का उत्पादन, ओडिशा में श्री सदानंद द्वारा अपनाई गई समेकित खेती प्रणाली और नालंदा में महिला किसान द्वारा खुम्बी का उत्पादन।

डॉ. ए.के. श्रीवास्तव ने अपने प्रस्तुतीकरण में सदन को बताया कि बारानी क्षेत्रों में रहने वाले छोटे किसान और वर्षा आधारित क्षेत्रों में रहने वाले किसान पशुपालन व डेरी से जुड़ी प्रौद्योगिकियों के प्रमुख उपयोगकर्ता हैं। पशुपालन व डेरी द्वारा इन क्षेत्रों से बड़े पैमाने पर रोजगार उत्पन्न किए जा सकते हैं और बेहतर आजीविका के लिए आमदनी के मौके बढ़ाए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि लगभग 70 प्रतिशत दूध छोटे किसानों से मिलता है, अतः ऐसे किसानों की कुशलता में सुधार करना अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण है। हरियाणा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में दूध और दूध से बने उत्पादों की आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण केन्द्र बन सकता है। इसलिए किसानों को कारगर व महत्वपूर्ण पशु नस्लों तथा दूध व मांस उत्पादन के लिए श्रेष्ठ गुणवत्तापूर्ण पशुओं के महत्व के बारे में जागरूक करना बहुत जरूरी है। उनका सुझाव था कि गाय की साहीवाल और थारपार्कर नस्लें और भैंस की मुर्रा नस्ल बहुत उपयोगी व लाभदायक है। इसी प्रकार, भेड़ और बकरियों की भी अच्छी नस्लों को बढ़ावा दिया जा सकता है और इस उद्देश्य से युवाओं को प्रशिक्षित किया जा सकता है। इसके अलावा अनेक मूल्यवर्धित उत्पाद विकसित करने, पशुओं के लिए खनिज मिश्रण तैयार करने के अलावा पैकेजिंग व विपणन, सहकारिताएं व स्वयं सहायता समूहों को स्थापित करने, छोटे उपकरणों को तैयार करने, डेरी फार्म स्थापित करने और शुद्ध नस्ल के सांड/गायों और भैंसों के फार्म स्थापित करने के लिए अनेक अवसर उपलब्ध हैं।

डॉ. एम.एल.जाट ने अपने प्रस्तुतीकरण में संरक्षण कृषि, विविधीकरण, खेती से उत्पन्न होने वाले कचरे के प्रबंधन, प्रौद्योगिकियों को उपयुक्ततम बनाने और नवोन्मेषों (Innovations) को बढ़ावा देने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में युवाओं के लिए रोजगार के बहुत से मौके सृजित किए जा सकते हैं और इसके अलावा संसाधन संरक्षण का लाभ उठाया जा सकता है तथा निवेशों की लागत कम की जा सकती है।

डॉ. अर्जुन सिंह सैनी ने बाजार की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए और वांछित विविधीकरण के मद्देनजर हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों में बागवानी को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बागवानी से फलों और सब्जी वाली फसलों की गुणवत्तापूर्ण पौदों के उत्पादन, संसाधन व मूल्यवर्धन, विपणन, पैकेजिंग आदि के क्षेत्रों में रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। उन्होंने संगोष्ठी को सूचित किया कि हरियाणा सरकार और भारत सरकार ने बागवानी को अपनाने वाले खेती से जुड़े युवाओं की सहायता के लिए अनेक योजनाएं लागू की हैं। युवा वर्ग सूक्ष्म सिंचाई, फर्टिगेशन, पॉलीहाउस निर्माण व उनके रखरखाव आदि जैसे पेशों को चुनकर अपने लिए रोजगार उपलब्ध करा सकता है।

डॉ. जे.एस.संधु ने इस बात पर बल दिया कि ग्रामीण युवा वर्ग खेती में राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर की मांगों और इन दिशाओं में हुए विकास के प्रति अधिक सावधान रहे और इसी के अनुरूप अपनी कुशलताओं को बढ़ाएं। उन्होंने फार्म यंत्रीकरण, जलप्रबंधन प्रौद्योगिकी, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, संकर बीजोत्पादन आदि को अपनाने पर खास जोर दिया। अतः समय आ गया है कि हम युवाओं के ज्ञान और निपुणता का नवीनीकरण करें, ताकि उभरते हुए अवसरों का फायदा उठाया जा सके।

डॉ. आर.एस.परोदा ने संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए भा.कृ.अ.प.; कृषि विभाग, भारत सरकार; कृषि विभाग, बागवानी विभाग, पशुपालन विभाग व मात्स्यकी विभाग, हरियाणा सरकार, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार आदि को इस संगोष्ठी में भाग लेने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग यहां मौजूद हैं वे खेती से जुड़े युवाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने में रूचि रखते हैं।

उन्होंने नीतिकारों और वैज्ञानिकों से उचित परियोजनाएं तैयार करने तथा युवा किसानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकासात्मक कार्यक्रम बनाने की अपील की, ताकि कृषि उत्पादन को बढ़ाने और रोजगार के मौके पैदा करने जैसी समस्याओं को उचित रूप से हल किया जा सके। उनका कहना था कि आज की तेजी से बदलती हुई दुनिया में युवाओं को खेती में बनाए रखना हम सब के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। हमारा युवा वर्ग सूचना से सम्पन्न है और बेहतर जीवन और

सुविधाओं की उनकी आकाक्षाएं बिल्कुल सही हैं।

उन्होंने किसानों के साथ सीधा सम्पर्क बनाने पर बल दिया, ताकि युवाओं को खेती की ओर आकर्षित करने के लिए संभावित हल खोजे जा सकें। उनका विचार था कि योजनाकारों और वैज्ञानिकों का यह दायित्व है कि वे युवाओं को खेती के पेशे में बनाए रखने के लिए आकर्षक वातावरण व अवसर सृजित करे। युवा वर्ग बेहतर आमदनी के साथ समाज में अपना सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त करना चाहता है। यह वर्ग अब परंपरागत खेती नहीं करना चाहता है, अतः हमें सभी स्तरों पर बदलाव लाने के मामले में गंभीरतापूर्वक सोचना होगा। चूंकि खेती मानव शक्ति को रोज़गार देने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र है, अतः हमें भविष्य में खेती को अधिक अनुक्रियाशील बनाने के लिए युवा वर्ग की क्षमताओं को और अधिक बढ़ाना होगा।

डॉ. परोदा ने यह भी बताया कि खेती के प्रति ग्रामीण युवाओं की घटती हुई रूचि का सीधा संबंध मौजूदा घटिया स्तर की भौतिक सुविधाओं, सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों और सक्षम वातावरण की कमी से है। तथापि यह भी देखना उत्साहजनक है कि हरियाणा में कुछ नए विचार वाले युवाओं ने विविधीकृत कृषि के साथ–साथ कृषि व्यापार से जुड़े क्रियाकलापों को आरंभ करके नई दृष्टि विकसित की है और नई दिशा में आगे बढ़े हैं। खेती से जुड़े अनेक युवाओं ने प्रौद्योगिकी सृजन के साथ–साथ उसके प्रचार–प्रसार और उसे अपनाने के लिए नव खोजी कुशलताओं का विकास किया है। तथापि, अब भी इस दिशा में गहन प्रयासों की आवश्यकता है, ताकि क्षेत्र को व्यापक बनाते हुए खेती के प्रति उनकी रूचि को और गहन बनाया जा सके। युवाओं को कृषि शिक्षा, अनुसंधान, और विस्तार में शामिल करने के लिए उचित प्रोत्साहन देकर तथा उन्हें फैलते हुए बाजारों के सम्पर्क में लाकर उनकी रूचि खेती की ओर बढ़ाई जा सकती है

उन्होंने उभरते हुए रोजगार के अवसरों के अनुसार खेती से जुड़े युवाओं की कुशलता के विकास पर बल दिया। उनका कहना था कि पहले बीज, कीटनाशी, उर्वरक तथा फार्म यंत्र व उपकरण ही कृषि स्नातकों/ग्रामीण युवाओं को रोज़गार उपलब्ध कराने के मामले में सक्षम क्षेत्र माने जाते थे, लेकिन अब सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े कृषि विस्तार, बीज प्रौद्योगिकी, जैवप्रौद्योगिकी, खाद्य पदार्थों के संसाधन, शीत भंडारण, पैकेजिंग, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, बीमा तथा खेती ऋण आदि उभरते हुए नए अवसर हैं। इस संदर्भ में संबंधित कुशलता को प्राप्त करने तथा प्रौद्योगिकी एजेंटों के रूप में सेवा करने के लिए अधिक विश्वास सृजित करने हेतु युवाओं (महिलाओं सहित) को पेशेवर प्रशिक्षण देने पर विशेष जोर देने की जरूरत है। इससे वे कुशल ज्ञान/सेवा प्रदानकर्ता बन सकते हैं। उन्होंने कृषि से जुड़े सभी वर्गों से मनोवृत्ति को बदलने का आह्वान किया और यह मनोवृत्ति 'प्रौद्योगिकी नवोन्मेषों' की बजाय 'व्यापार नवोन्मेषों' की होनी चाहिए।

डॉ. परोदा ने यह भी सुझाव दिया कि नीतिकारों तथा वैज्ञानिकों को लाभदायक खेती प्रणालियों को बढ़ावा देने, प्रसंस्करण व मूल्यवर्धन से जुड़ी प्रौद्योगिकियों सहित गौण कृषि को अपनाने तथा किसानों को बाजार के सम्पर्क में लाने के लिए उचित नीतियां बनानी चाहिए व अनुसंधान करने चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाएं खेती से जुड़े कार्यों में सभी स्तरों पर महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं। अतः उन्हें ज्ञान से सम्पन्न करके और प्रौद्योगिकी की जानकारी देकर उनकी कुशलता को बढ़ाया जा सकता है तथा ऐसा व्यावसायिक प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी सम्पन्न क्षेत्रों का भ्रमण कराकर किया जा सकता है। ऐसा अनुभव किया गया है कि जब महिलाओं को ज्ञान सम्पन्न कर दिया जाता है तो प्रौद्योगिकियों को अधिक तेजी से

अपनाया जाता है। युवाओं और विशेष रूप से महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे स्वयं सहायता समूहों से छोटे पैमाने के अनेक उद्योगों के सृजन में सहायता मिल सकती है। जिनसे सम्मानपूर्ण रोज़गार सृजित होता है और आमदनी बढाने के अवसर उपलब्ध होते हैं। इसी के साथ–साथ युवाओं को शामिल करके नवोन्मेषों या नई खोजों को खेती की परिस्थितियों के अनुकूल बनाया जा सकता है। उन्होंने यह कहते हुए अपनी बात समाप्त की कि युवा हमारी मूल पूंजी हैं इसलिए हमारे राष्ट्र का भविष्य उनके सशक्तीकरण पर निर्भर करेगा।

श्री बृजेन्द्र सिंह, निदेशक, कृषि, हरियाणा ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए डॉ. आर.एस.परोदा, अध्यक्ष, हरियाणा किसान आयोग के उन प्रयासों की सराहना की जिनके द्वारा नीतिकारों और विभिन्न हितधारियों, विशेष रूप से फार्म नव–प्रवर्तकों, ग्रामीण युवाओं, महिला स्वयं सेवक समुहों और मछली पालन, सुरक्षित खेती, खुम्बी उत्पादन, कुक्कुटपालन, डेरी व पशुपालन आदि से जुड़े किसानों के बीच मौजूद अंतराल दूर हुआ है। उन्होंने कहा कि इन पहलों से हरियाणा सरकार को निश्चित रूप से बेहतर योजना बनाने में सहायता मिलेगी जिससे किसानों को राज्य में उद्योगों पर आधारित खेती को अपनाने के बेहतर मौके उपलब्ध होंगे। इससे ग्रामीण युवाओं को खेती के पेशे में बनाए रखा जा सकेगा। निदेशक कृषि ने राज्य की नई कृषि नीति का मसौदा तैयार करने के लिए हरियाणा किसान आयोग के प्रयासों की सराहना की और यह आशा जताई कि राज्य सरकार शीघ्र ही इस नीति को स्वीकार करेगी। उनका सुझाव था कि नव–प्रवर्तकों और उद्यमियों की पहचान के लिए इस प्रकार की संगोष्ठियां और जल्दी–जल्दी आयोजित की जानी चाहिए। उन्होंने संगोष्ठी में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद दिया और यह आशा व्यक्त की कि संगोष्ठी के कार्यवृत्त और अनुशंसाओं से सरकार को उचित दिशा प्राप्त होगी।

तकनीकी सत्र II : अनुकूल फसल प्रणाली के लिए युवा किसानों की नई खोजें तथा आय सृजन

अध्यक्ष : **श्री जे.एस. संधु, कृषि आयुक्त, भारत सरकार**

संयोजक : **डॉ. एस.एस.सिवाच,** निदेशक अनुसंधान, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार

डॉ. राजबीर सिंह, प्रधान वैज्ञानिक, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रभाग, भा.कृ.अ.प., नई दिल्ली

इस सत्र में पाँच नवोन्मेषी युवा किसानों ने अनुकूल फसल प्रणाली तथा कृषि से अधिक आमदनी लेने के लिए उनके द्वारा अपनाई गई नई खोजों पर अपने अनुभवों से सम्बंधित विचार व्यक्त किए।

श्री हरप्रीत सिंह, ग्राम बीर नारायणा, करनाल के युवा किसान ने चावल की सीधी बीजाई (डीएसआर) तकनीक का उपयोग करके चावल उगाने से जुड़ी अपनी नई खोजों तथा सफल अनुभवों के बारे में बताया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि डीएसआर तकनीक चावल की खेती की वह सफल तकनीक है जिसमें पानी का कम इस्तेमाल होता है और इससे मजदूरों की कमी की समस्या के अलावा बिजली की कमी की समस्या से भी निपटा जा सकता है। उन्होंने कहा कि चावल की खेती की डीएसआर प्रणाली अपनाने से इसके बाद उगाई जाने वाली गेहूं की फसल की उपज में 2.5 से 3.7 क्विं./है. की बढ़ोतरी होती है जिसका मुख्य कारण इस फसल की समय पर रोपाई है। उन्होंने साथी किसानों को सलाह दी कि वे डीएसआर को अपनाने से पहले इस प्रणाली में अपनाई जाने वाली खेती की विधियों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उचित प्रशिक्षण लें। उन्होंने अपने अनुभव बांटे तथा इस बात पर बल दिया कि डीएसआर जोखिम को कम करने की एक प्रणाली है जिससे परंपरागत गीली जुताई में धान की रोपाई करने वाली प्रणाली की तुलना में पानी की बचत होती है क्योंकि इस प्रणाली में फसल पानी की कमी को सह सकती है। उन्होंने अनुसंधानकर्ताओं से अनुरोध किया कि डीएसआर के लिए खरपतवार नियंत्रण की प्रभावी विधि विकसित की जाए क्योंकि यह समस्या डीएसआर को लोकप्रिय बनाने में बाधक हो रही है। टर्बो हैपी सीडर (टीएचएस) के बारे में अपने अनुभव बांटते हुए उन्होंने बताया कि चावल की फसल के बाद इस यंत्र से गेहूं की बुआई करने से पानी और मिट्टी के संरक्षण में सहायता मिलती है और इससे फसल अपनी अंतिम अवस्था में तेज गर्मी को भी सह सकती है। अंत में श्री हरप्रीत सिंह ने सरकार से बहुफसली शून्य जुताई रोपाई यंत्र पर अनुदान देने का

अनुरोध किया क्योंकि यह किसानों को विभिन्न फसलों की सटीक रोपाई करने की दृष्टि से बहुत सहायक सिद्ध होता है।

करनाल जिले के तरावडी गांव के युवा किसान **श्री मनोज कुमार** ने संरक्षण कृषि और 'कृषक सोसायटियों' के माध्यम से नई प्रौद्योगिकियों को परिस्थितियों के अनुकूल बनाने में नई खोजें करने और रूपांतर के मॉडल को अपनाने से संबंधित अपने अनुभवों के बारे में बताया। उन्होंने बल दिया कि संरक्षण कृषि में किसानों की आमदनी बढ़ाने की क्षमता है क्योंकि इसे अपनाने से उत्पादन की लागत कम होती है, तथा संसाधनों की उपयोग दक्षता में सुधार होता है और खेती से जुड़े काम समय पर सम्पन्न हो जाते हैं। श्री मनोज ने टर्बो हैपी सीडर द्वारा गेहूं की बुआई के अनुभव के बारे में बताया कि इससे फसल की अंतिम अवस्था में तेज गर्मी के प्रभाव से निपटने में सहायता मिलती है। उनका कहना था कि गेहूं के साथ (दोहरे उद्देश्य वाले गेहूं के साथ) बरसीम उगाने और बुआई के 55 दिन बाद हरे चारे की एक कटाई करने से किसानों को 5000 रुपये प्रति एकड़ की अतिरिक्त आमदनी होती है और उसकी हरे चारे की जरूरत भी पूरी हो जाती है। उन्होंने ज्यादा फायदे और संसाधनों के कारगर उपयोग के लिए गन्ना की फसल में अंतर–फसल उगाने पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने सूचित किया कि गन्ने को अक्तूबर के अंत में या नवम्बर के आरंभ में (पतझड़ रोपाई) गेहूं की फसल के साथ उगाया जा सकता है जिसके लिए 90 सें.मी. की दूरी पर उठी क्यारियों में रोपाई यंत्र से बुआई की जरूरत होती है। उनकी सिफारिश थी कि छोटे और सीमांत किसानों के लिए अंतर–फसल के रूप में लहसुन, आलू, प्याज और धनिया जैसी फसलें उगाना लाभदायक प्रणाली सिद्ध हो सकती है। उन्होंने बल दिया कि गेहूं की खेती में यंत्रीकरण की बहुत जरूरत है। चर्चा के दौरान गन्ने की फसल की कटाई के लिए किराए पर सेवाएं लेने पर भी बल दिया गया।

कुरूक्षेत्र जिले के लाडवा ब्लॉक के सिजातपुर गांव से आए युवा किसान **श्री हरविंदर सिंह** ने विविधीकृत फसल प्रणाली में नव–प्रवर्तनों या नई खोजों पर अपने अनुभवों को बांटा। उन्होंने सूचित किया कि परंपरागत चावल–गेहूं प्रणाली की तुलना में चावल–आलू–वसंत मौसम की मक्का एक लाभदायक फसल प्रणाली है। उनका दावा था कि ये फसल चक्र अपनाने से, मक्का की प्रति हैक्टेयर 10 टन तक उपज ली जा सकती है। उन्होंने बताया कि चावल–आलू–मक्का प्रणाली को अपनाकर किस प्रकार प्रति एकड़ शुद्ध आमदनी 83,000 रुपये तक बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि मक्का को चावल–गेहूं फसल प्रणाली में लागू कर दिया जाए तो एक कैलेण्डर वर्ष में मक्का की दो फसलें और आलू की दो फसलें लेना संभव है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि उनके क्षेत्र में आलू के बीज का बाजार तैयार करने की बहुत संभावना है। उनका विचार था कि अंतर–फसल प्रणाली में पॉपलर उगाने से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हो सकता है और इसके साथ ही टिकाऊ गहनीकरण भी लाया जा सकता है। उन्होंने युवा किसानों से अपील की कि वे कृषि तथा इससे जुड़े अन्य व्यवसायों को अपनाएं, ताकि उन्हें अच्छी आमदनी हो सके।

करनाल जिले के कुंडली ब्लॉक के युवा और प्रगतिशील किसान **श्री अमरीक मलिक** ने कपास–गेहूं प्रणाली के साथ विविधीकरण से जुड़े अपने अनुभवों को बताया। उन्होंने कहा कि किस प्रकार जब उन्होंने यह विधि अपनाई थी तो उनके साथी किसानों ने उनकी आलोचना की थी, लेकिन अब अनेक किसान इस विधि को अपनाने के इच्छुक हैं। उन्होंने कपास की सीधी बीजाई की अपनी प्रौद्योगिकी को विस्तार से बताया जिससे मिट्टी की पपड़ी जमने की समस्या हल हुई तथा 'राउंड अप' के छिड़काव से कपास में खरपतवारों की समस्या भी हल हुई। उन्होंने कपास की खड़ी फसल में गेहूं की रिले बुआई के

अपने अनुभव के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि चावल में छिड़काव प्रणाली किस प्रकार उपयोगी सिद्ध हो सकती है तथा क्लोन सफेदा की रोपाई किस प्रकार लाभदायक हो सकती है। उन्होंने संरक्षण कृषि पर बल दिया और हरियाणवी भाषा में एक नया नारा गढ़ा 'बिना बाहा और मौज मना' अर्थात् बिना जुताई के भी आप खेती करके मौज कर सकते हैं। उन्होंने किसानों से अनुरोध किया कि वे केंचुए की खाद या वर्मीकम्पोस्ट इकाइयां स्थापित करके अपनी खादें स्वयं तैयार करें।

करनाल जिले के तरावडी से आए एक नौजवान तथा प्रगतिशील किसान **श्री विकास चौधरी** ने संरक्षण कृषि और कृषक सोसायटियों के माध्यम से नई प्रौद्योगिकियों को परिस्थितियों के अनुकूल ढालने और उन्हें अपनाने के नवीन मॉडल से जुड़े अपने अनुभव बताए। उन्होंने बल दिया कि संरक्षण कृषि में किसानों की आमदनी बढ़ाने की क्षमता है जिससे उत्पादन लागत में कमी आती है, संसाधन उपयोग की दक्षता में बढ़ोतरी होती है और खेती से जुड़े सभी काम समय पर सम्पन्न होते हैं। उन्होंने विस्तार से बताया कि किस प्रकार कृषि से जुड़ी विभिन्न एजेंसियों का ध्यान किसानों की ओर कृषक सोसायटी बनाकर आकर्षित किया जा सकता है। श्री विकास ने खरीफ मक्का के साथ चावल की फसल को अपनाकर विविधीकरण से जुड़े अपने अनुभवों को बांटा जो न केवल आर्थिक रूप से व्यवहारिक विधि थी बल्कि इससे चावल की तुलना में 90 प्रतिशत पानी की बचत होती है। उन्होंने उत्पादकता, लाभदायकता और पोषक तत्वों की उपयोग दक्षता में सुधार के लिए सटीक पोषक तत्व प्रबंधन हेतु नए औजारों और तकनीकों (पोषक तत्व विशेषज्ञ निर्णय सहायी प्रणाली, ग्रीन सीकर आदि) से जुड़े अपने अनुभवों को व्यक्त किया। उन्होंने नई तकनीकें अपनाने के लिए किसानों से आगे आने का अनुरोध किया, ताकि निवेशों की बचत हो सके और खेती की लागत कम की जा सके। उन्होंने युवाओं को खेती की ओर आकर्षित करने पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि सटीक खेती में युवा किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि इससे जहां एक ओर वे निवेशों का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं वहीं दूसरी ओर इस प्रणाली से खेती में टिकाऊपन ला सकते हैं।

सत्र से उभरी प्रमुख सिफारिशें

संरक्षण कृषि (सीए)

वर्तमान में कृषि के समक्ष उपज में ठहराव आने, संसाधनों के दोहन हो जाने, पर्यावरण के बिगड़ने और जलवायु परिवर्तन जैसी अनेक चुनौतियां हैं। ऐसे माहौल में संरक्षण कृषि को भावी कृषि तकनीक माना जा सकता है जिससे कृषि में लागत बढ़ने की चुनौतियों से निपटा जा सकता है। इसके अलावा, संरक्षण कृषि से जुड़ी तकनीकों में पानी की कमी से निपटने, मजदूरी और ऊर्जा को बचाने और खराब हुई मिट्टी की हालत को सुधारने की बहुत संभावना है। संरक्षण कृषि की विधियों को लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से निम्नलिखित बिंदु उभरकर सामने आए :

- मजदूरों की कमी की समस्या को ध्यान में रखते हुए नौजवानों को गांव में कस्टम किराया केन्द्रों और बहु–फसल रोपाई यंत्रों व टर्बो हैपी सीडर को किराए पर देने का कार्य आरंभ करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिसके लिए अनुदान उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- कृषक सहकारिताएं और एसोसिएशन नई प्रौद्योगिकियों के प्रचार–प्रसार में प्रभावी भूमिका निभा सकती हैं, अतः युवाओं को खेती की ओर आकर्षित करने के लिए इन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- प्रगतिशील किसानों को अपने फार्मों को श्रेष्ठता के केन्द्रों के रूप में इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए तथा इनका उपयोग किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए किया जाना चाहिए जिससे कि इन्हें खेती का उचित ज्ञान हो और उनमें आत्म–विश्वास पैदा हो।
- भूसे को खेत में समान रूप से फैलाने में टर्बो हैपी सीडर बहुत सहायक है। इससे खेत के कचरे को जलाने से बचा जा सकता है। भूसे को समरूप फैलाने के लिए सभी कम्बाइन हार्वेस्टरों में भूसा प्रबंधन प्रणाली (एसएमएस) के अटैचमेंट को अनिवार्य किया जाना चाहिए।
- किसानों द्वारा की गई नई खोजों को बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के प्रावधानों के माध्यम से सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।
- वैज्ञानिकों– नवप्रवर्तक या नवोन्मेषी किसानों के बीच पारस्परिक सम्पर्क को मजबूत किया जाना चाहिए क्योंकि प्रौद्योगिकी या तकनीक खेत में किस प्रकार सफल होती है इसके उचित प्रतिपुष्टि की जरूरत है। इसके साथ ही किसानों द्वारा की गई नई खोजों में वांछित सुधार व उन्हें अनुकूल बनाने की भी जरूरत है।

स्थिति अनुसार चावल–गेहूं फसल प्रणाली

प्रयोगों तथा प्रदर्शनों के परिणामों से यह स्पष्ट हुआ है कि पानी, मजदूरी और बिजली की कमी से जुड़ी समस्याओं से सफलतापूर्वक निपटने के लिए चावल की सीधी बीजाई (डीएसआर) एक प्रभावी विकल्प है क्योंकि इसे अपनाने से फसल में बीमारियां कम लगती हैं और इस विधि में गेहूं की फसल की प्रति एकड़ एक क्विंटल से अधिक उपज बढ़ाने की क्षमता है। डीएसआर को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित बिंदु उभरे:

- किसानों तक डीएसआर के पूरे पैकेज के प्रचार–प्रसार के साथ–साथ इस विषय पर सभी स्तरों पर क्षमता निर्माण के लिए उचित प्रशिक्षण देने की तत्काल आवश्यकता है।

- किसानों को डीएसआर प्रणाली अपनाने हेतु राजी करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रदर्शनों को आयोजित करने के अलावा रेडियो और टीवी कार्यक्रमों के माध्यम से बड़ा अभियान चलाने की जरूरत है, ताकि इसके फायदों को उजागर किया जा सके।
- डीएसआर प्रणाली में फसल को बेहतर रूप से स्थापित करने के लिए लेज़र समतलीकरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि इससे बेहतर परिणाम मिलते हैं।
- कम लागत वाले और प्रभावी खरपतवारनाशियों को तत्काल विकसित करने की जरूरत है तथा डीएसआर में खरपतवारों के प्रभावी नियंत्रण के लिए समेकित खरपतवार नियंत्रण की विधियों को अपनाया जाना चाहिए।
- हल्की बनावट वाली मिट्टियों में डीएसआर विधि से उगाई गई फसल में लौह तत्व की कमी हो सकती है। इस कमी को दूर करने के लिए आयरन सल्फेट का छिड़काव किया जाना चाहिए। इस पर जोर देने की जरूरत है।
- चावल–गेहूं प्रणाली में टिकाऊ गहनीकरण के लिए शून्य जुताई या रिले रोपाई के माध्यम से अल्पावधि मूंग की फसल उगाने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिसके लिए शून्य जुताई रोपक का उपयोग होना चाहिए।

स्थिति अनुसार गन्ना आधारित फसल प्रणाली

- गन्ना की खेती में कटाई, छीलन उतारने, लदाई और परिवहन में मजदूरी की लागत को कम करने के लिए यंत्रीकरण को अपनाने की तत्काल आवश्यकता है।
- पतझड़ मौसम में (अक्तूबर के अंत में या नवम्बर के आरंभ में) गन्ने की रोपाई गेहूं की अंतर–फसल के साथ उठी हुई क्यारी में रोपाई करने वाले यंत्र(Raised bed planter) का उपयोग करके की जानी चाहिए। इस प्रणाली में गन्ने की 90 सें.मी. की दूरी पर रोपाई की जानी चाहिए। गन्ने का बीज कूड़ों में रखकर उसे मिट्टी से भरने के बाद सिंचाई करनी चाहिए। गन्ने पर आधारित फसल प्रणाली तब अधिक लाभदायक सिद्ध हो सकती है जब इसमें अनाजों/तिलहनों/दलहनों/सब्जियों की अंतर–फसल उगाई जाती है। अंतर–फसलित गन्ना+गेहूं की फसल से

गेहूं–गन्ना फसल क्रम की तुलना में बेहतर उपज के साथ अच्छा फायदा लिया जा सकता है।

- गन्ना की फसल को अधिक फायदेमंद बनाने के लिए गोल–गड्ढा या खाई जैसी गन्ना रोपाई की नई विधियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- छोटे और सीमांत किसानों को ज्यादा फायदा हो इसके लिए गन्ना की फसल में लहसुन, आलू, प्याज और धनिया जैसी फसलों की अंतर खेती को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- पेड़ी फसलों में उचित खाद देने के लिए आफ–बारिंग व उर्वरक उपयोग यंत्र को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि उत्पादकता में सुधार हो और पेड़ी की फसल के पोषक तत्व के उपयोग की दक्षता में भी बढ़ोतरी हो।
- सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली तथा निवेशों के टिकाऊ उपयोग को उच्च उत्पादकता के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

स्थिति अनुसार कपास–गेहूं प्रणाली

- कपास–गेहूं प्रणाली में गेहूं की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कपास की खड़ी फसल में गेहूं की रिले फसल लेने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- कपास में गेहूं की रिले बुआई को सुविधाजनक बनाने के लिए उचित यंत्रों के डिज़ाइन तैयार करके उन्हें विकसित किया जाना चाहिए।
- गेहूं की रिले बुआई में आसानी हो, इसके लिए उच्च क्लीयरेंस वाले ट्रैक्टर का प्रोटोटाइप विकसित किया जाना चाहिए।
- पछेती बोई गई बीटी कपास की फसल में गेहूं की रिले बुआई के लिए ट्रैक्टर पर लगाए गए फ्रेम के उच्च क्लीयरेंस के लिए प्रदर्शन आयोजित किए जाने चाहिए।
- टिकाऊ गहनीकरण के लिए कपास की फसल के साथ दलहनों की फसलें उगाने की संभावना भी तलाशी जानी चाहिए।

आय सृजन के लिए विविधीकरण

- गेहूं की दोहरे उद्देश्य वाली तकनीक (गेहूं के साथ बरसीम की फसल उगाना और चारे के लिए लगभग 55 दिनों बाद एक कटाई करना) का बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया जाना चाहिए क्योंकि इससे किसानों को प्रति एकड़ 5000 रुपये की अतिरिक्त आमदनी होती है और फसल–पशुधन प्रणाली के लिए हरे चारे की कमी की समस्या भी सुलझ जाती है।
- विविधीकरण के लिए चावल के विकल्प के रूप में मक्का की फसल को लोकप्रिय बनाने के लिए उद्योगों की सहायता की जरूरत है।
- संसाधनों के संरक्षण के लिए मक्का–गेहूं प्रणाली में स्थायी क्यारी में रोपाई प्रणाली को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
- विविधीकरण को बढ़ावा देने व इसे समर्थन प्रदान करने और किसानों को बाजार के साथ जोड़ने

के लिए स्वयं सहायता समूहों व सहकारी समितियों को मजबूत करने की जरूरत है।

- केंचुए की खाद व वर्मी कम्पोस्ट इकाइयों की स्थापना के लिए सहायता दी जानी चाहिए।
- खेती संबंधी कार्यों में निर्णय लेने के लिए खेतिहर महिलाओं को सशक्त किया जाना चाहिए तथा स्वयं सहायता समूहों व अन्य महिला समितियों के विविधीकरण को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- फसलों, सब्जियों, फूलों, वृक्षों, पशुधन, मात्स्यकी, कुक्कुटपालन, खुम्बी की खेती, बायोगैस इकाइयों आदि जैसे आवश्यकता आधारित विशिष्ट घटकों का एक साथ इस्तेमाल करते हुए समेकित फार्मिंग प्रणाली को प्रोत्साहित करने की जरूरत है, ताकि खाद्य, पोषणिक और आजीविका सुरक्षा को प्राप्त करके उसे बनाए रखा जाए।
- कृषि वानिकी प्रणाली को बढ़ावा देना प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का एक उचित उपाय है और खेती को टिकाऊ बनाने के लिए पर्यावरण को भी सुधारने की जरूरत है।
- विविधीकरण को एक सफल व्यापार बनाने के लिए बाजार बुद्धिमत्ता नेटवर्क को मजबूत करने की जरूरत है।

कृषि में नौजवानों को आकर्षित करने से संबंधित सामान्य टिप्पणियां

- उत्पादकता, लाभदायकता और पोषक तत्वों के उपयोग की दक्षता में सुधार के लिए सटीक पोषक तत्व प्रबंधन हेतु उन्नत औजारों और तकनीकों (पोषक विशेषज्ञ निर्णय सहायी प्रणाली, ग्रीन सीकर आदि) को लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता है।
- सटीक खेती को सफल बनाने के लिए कम्प्यूटर आधारित प्रणालियों (उपयोगकर्ता मित्र) के उपयोग हेतु युवा किसानों को प्रशिक्षण देने की जरूरत है।
- किसानों के लिए उपयोगकर्ताओं के अनुकूल औजारों और तकनीकों का विकास किया जाना चाहिए।
- उद्यमशीलता के विकास के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देकर उनकी कुशलता में सुधार लाया जाना चाहिए।
- जलवायु के अनुकूल खेती को अपनाने और अत्यधिक प्रतिकूल जलवायु की परिस्थितियों में कृषि परामर्श सेवाओं के उचित उपयोग के लिए ग्रामीण नौजवानों को सशक्त बनाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
- ग्रामीण युवाओं को शामिल करते हुए जलवायु की दृष्टि से अनुकूल खेती करने वाले गांवों का विकास होना चाहिए।
- ग्रामीण स्वच्छता के लिए स्कीमों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए तथा ग्रामीण नौजवानों को शामिल करते हुए कृषि पर्यटन का विकास होना चाहिए।

तकनीकी सत्र III : युवाओं को बाजार के सम्पर्क में लाकर गौण तथा विशेषज्ञतापूर्ण कृषि में फार्म युवाओं के लिए आजीविका के अवसरों पर युवा किसानों के अनुभव

अध्यक्ष : **डॉ. आर.एस.परोदा,** अध्यक्ष, हरियाणा किसान आयोग, पंचकुला

सह अध्यक्ष : **डॉ. एम.एल.चड्ढा,** परामर्शक, हरियाणा किसान आयोग
डॉ. अर्जुन सिंह सैनी, महानिदेशक, बागवानी, हरियाणा सरकार

संयोजक : **डॉ. डी.के. शर्मा,** निदेशक, केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल तथा
डॉ. यश पाल सहरावत, वैज्ञानिक, भा.कृ.अ.पं., नई दिल्ली

तकनीकी सत्र III में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से आए किसानों ने छह प्रस्तुतीकरण दिए जिनमें उन्होंने अपने अनुभवों और सफलताओं के बारे में बताया।

करनाल से आए किसान **श्री बिजेन्द्र सिंह,** ने बताया कि उन्होंने सब्जियों की खेती के लिए सुरक्षित खेती की विधि को अपनाया। इससे उन्हें टमाटर, शिमला मिर्च और खीरे जैसी सब्जियों की खुले खेत में उगाई जाने वाली फसलों की तुलना में लगभग 3 गुनी उपज मिली। उन्होंने पानी की बचत के लिए स्वचालित सिंचाई प्रणाली अपनाई जिसके द्वारा सीमित जमीन पर उच्च उत्पादकता लेना सुनिश्चित हुआ। उनका कहना था कि सुरक्षित खेती में चिंता का मुख्य विषय सूत्रकृमियों/रोगों/नाशकजीवों का प्रकोप, विशेष रूप से तीसरे वर्ष के बाद, बढ़ जाना है। इससे बचना संभव है जिसके लिए शिमला मिर्च/टमाटर/खीरा जैसी सब्जियों की फसलों की क्रमवार फसल उगाई जानी चाहिए।

पंजाब के पटियाला के किसान **श्री गुरप्रीत सिंह** ने आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए फूलों के उत्पादन के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि उन्होंने आठ हैक्टेयर के क्षेत्र में फूलों की खेती की तथा वे गेंदा, ग्लेडियोलस और गुलाब के फूल उगाकर उन्हें बेच रहे हैं। इससे उन्हें प्रति हैक्टेयर लगभग 6.25 लाख रुपये की आमदनी हो रही है। अधिक धन कमाने के साथ–साथ मौसम के अनुसार फूलों को उगाकर वे अपनी मिट्टी की हालत भी सुधार रहे हैं।

हरियाणा के सोनीपत से आए युवा किसान **श्री दिनेश कुमार** ने स्वीट कॉर्न उगाकर विविधीकृत कृषि को अपनाने के बारे में बताते हुए कहा कि वे इस प्रणाली से प्रति हैक्टेयर लगभग 1000 से 12000 बोरा उपज ले रहे हैं। विविधीकरण से उन्हें प्रति हैक्टेयर 3.0 लाख रुपये की आमदनी हो रही है। अब वे खेती में फसल विविधीकरण लाने की वकालत करते हैं तथा अपने पड़ोसी किसानों को परंपरागत फसल के स्थान पर स्वीट कॉर्न की खेती करके फसल विविधीकरण लाने में मदद पहुंचाते हैं।

पानीपत के किसान **श्री जसबीर सिंह** ने बल दिया कि चावल–गेहूं प्रणाली की तुलना में सब्जियां उगाना अधिक फायदेमंद है। उन्होंने एक एकड़ जमीन से 80 टन हरी प्याज की उपज प्राप्त की तथा 1.5 लाख रुपये से अधिक आमदनी ली। उन्होंने अनेक उन किसानों के खेतों का दौरा किया है जो सुरक्षित संरचनाओं में सब्जियां उगा रहे हैं और उन्होंने अब सब्जियों की सुरक्षित खेती की विधि अपनाना शुरू कर दिया है।

हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के युवा किसान **श्री विकाश बैनल** ने खुम्बी उगाने के महत्व पर प्रकाश डाला तथा कहा कि यह खेती फलों के बाग लगाने की तुलना में ज्यादा फायदेमंद व्यापार है। उनका दावा था कि उनका टर्नओवर प्रति वर्ष 4 करोड़ रुपये है। खुम्बी की पैकेजिंग की उनकी अपनी इकाई है। अब वे खुम्बी के उत्पादक, संसाधक और विपणनकर्ता, सभी कुछ हैं। उनकी मुख्य चिंता यह है कि बिजली प्रभार तथा खुम्बी की खेती पर दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज की दर ज्यादा है और इसे कृषि दर के समान किया जाना चाहिए।

भटिंडा (पंजाब) के तुंगवाला गांव से आए किसान **श्री गुरचरण सिंह** ने मधुमक्खी पालन के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने मधुमक्खीपालन के क्षेत्र में बहुत सामान्य रूप से कृषि विज्ञान केन्द्र, भटिंडा की सहायता से प्रवेश किया था। वर्तमान में, उनके पास मधुमक्खियों को पालने के लिए 2500 छत्ते हैं और वे इस नए कार्य से आकर्षक लाभ कमा रहे हैं।

अध्यक्ष की टिप्पणी

अपनी समापन टिप्पणी में डॉ. परोदा ने खेती से जुड़े युवाओं के लिए आजीविकाओं के अवसर पर अपने बहुमूल्य अनुभवों को बांटने और युवा किसानों को बाजार के सम्पर्क में लाने के प्रयासों के बारे में

बताने के लिए सभी वक्ताओं को बधाई दी। उनका कहना था कि किसान अपनी उपज का अच्छा मूल्य प्राप्त नहीं कर पाते हैं, अतः उन्होंने बल दिया कि नव युवा किसानों के लिए अब समय आ गया है कि वे समेकित खेती के लिए विभिन्न विकल्पों पर प्रयोग करें तथा समेकित खेती को संसाधन व बाजार संबंधी कार्यों से जोड़कर रखें। इसी दृष्टिकोण से किसान अपनी उपज की बेहतर कीमत ले सकते हैं।

सिफारिशें

उपरोक्त प्रस्तुतीकरणों व चर्चाओं से निम्नलिखित सिफारिशें उभरीं :

1. सब्जियों की सुरक्षित खेती के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली पौदों का होना एक अनिवार्य शर्त है, अतः राज्य की बीज एजेंसियों को आगे आना चाहिए तथा किसानों को श्रेष्ठ गुणवत्ता वाले बीजों/पौदों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए।
2. गौण तथा विशेषज्ञतापूर्ण खेती में ग्रामीण युवाओं के लिए आजीविका के अवसर सुलभ कराने के लिए बाजार के साथ उचित सम्पर्क विकसित करने की जरूरत है।
3. बेबी तथा स्वीटकॉर्न की खेती करना लाभदायक है, लेकिन अभी तक ये फसलें सीमित क्षेत्र में ही उगाई जा रही हैं और यह भी केवल कुछ गांवों तक सीमित है। इन फसलों को विशेष रूप से दिल्ली के आस–पास बड़े क्षेत्र में फैलाने की जरूरत है क्योंकि दिल्ली में विशेष रूप से ऐसे उत्पादों का अच्छा बाजार है।
4. राज्यों में खुम्बी की खेती को बढ़ावा देने के लिए बिजली प्रभारों, बैंक द्वारा लिए जाने वाले ऋण पर ब्याज व खुम्बी उत्पादन पर लगाए जाने वाले अन्य करों को खेती के लिए लिए जाने वाले प्रभार, ब्याज दर व करों के समान रखा जाना चाहिए।
5. चूंकि गौण कृषि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता काफी अधिक होती है, अतः ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों, विशेष रूप से सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
6. युवाओं में ज्ञान और निपुणता को सुधारने के लिए युवा किसानों को गौण तथा विशेषज्ञतापूर्ण कृषि का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

तकनीकी सत्र IV : पशुपालन में खेतिहर युवाओं के लिए आजीविका के अवसरों पर युवा किसानों के अुनभव – पशु उत्पादन से आगे बढ़ना

सह–अध्यक्ष : **डॉ. के.एम.एल.पाठक,** उप महानिदेशक (पशुविज्ञान), भा.कृ.अ.प. और
डॉ. जी.एस.जाखड़, महानिदेशक, पशुपालन एवं डेरी, हरियाणा

संयोजक : **डॉ. इन्द्रजीत सिंह,** निदेशक, केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, हिसार

वक्ता : **श्री सुरजीत सिंह मलिक,** ग्राम उमरा, जिला हिसार
श्री युवराज खुराना, भिवानी मार्ग, रोहतक
श्री सुल्तान सिंह, ग्राम बुटाना, जिला करनाल

इस सत्र में : 1) पशु प्रजनन में नए अवसर, 2) डेरी संसाधन/मूल्यवर्धन के माध्यम से आय के अवसर और 3) देशीय मछली उत्पादन में नई खोजें विषयों पर तीन प्रस्तुतीकरण दिए गए और इन प्रस्तुतीकरणों के बाद व्यापक चर्चा हुई। घटती हुई जोतों के कारण पशुपालन ने ग्रामीण युवाओं की आजीविका में महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। इससे न केवल उन्हें दूध बेचकर प्रतिदिन नकद राशि प्राप्त होती है बल्कि पशु शिशुओं को बेचकर, सांडों द्वारा प्रजनन कराकर और अतिरिक्त नर बछड़ों की बिक्री से समय–समय पर अतिरिक्त आमदनी भी होती है। भैंसों के मामले में अतिरिक्त पशुओं तथा नर पशुओं से मांस निर्यात की बड़ी मांग को पूरा किया जा सकता है क्योंकि हाल के वर्षों में विदेशों में मांस की मांग में निरंतर वृद्धि हुई है।

हरियाणा में किसानों के लिए तो यह स्थिति और भी बेहतर है क्योंकि उनके पास विश्व प्रसिद्ध मुर्रा भैंस का वरदान है। भैंस के दूध से न केवल अधिक मूल्य मिलता है बल्कि मुर्रा भैंस अन्य नस्लों की तुलना में बेहतर होने के कारण इसकी मांग भी अधिक है। परिणामस्वरूप राज्य में भैंसों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। इसी का परिणाम है कि राज्य में उत्पन्न होने वाले कुल दूध का लगभग 85 प्रतिशत भैंसों से मिलता है। कृषि के माध्यम से राज्य के जीडीपी में पशुधन का योगदान 40–42 प्रतिशत है।

चर्चा के दौरान किसानों और प्रतिभागियों से कुछ महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए जिन्हें सरकार से विचार के लिए नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है, ताकि किसान पशुपालन से लाभ उठा सकें।

सिफारिशें :

क) पशुधन

1. बीमा के द्वारा अधिक दूध देने वाली भैंसों और गायों को पहचान देने और उनको बचाने के प्रस्ताव को और अधिक सार्थक बनाया जा सकता है जिसके लिए पहचान की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए। इससे श्रेष्ठ पशुओं की कीमत बढ़ेगी, सरकारी स्कीमों पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा तथा पशुओं की उत्पादकता में तेजी से सुधार होगा।

2. अधिक दूध देने वाली भैंसों के स्वामियों को दूध के उत्पादन के प्रमाण–पत्र दिए जाने चाहिए जो दुग्ध प्रतियोगिता के दौरान पहचाने गए पशुओं के मामले में रिकॉर्ड के आधार पर तैयार किए जाने चाहिए। रिकॉर्डिंग को भी देसी और संकर नस्ल के पशुओं के लिए आरंभ किया जाना चाहिए।

3. साढ़े सात किलो से अधिक दूध देने वाली गायों और भैंसों को क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराने का प्रस्ताव सराहनीय है, लेकिन गायों के लिए 40,000 रुपये और भैंसों के लिए 50,000 रुपये की राशि को उनका बाजार मूल्य देखते हुए कम माना गया।

4. पशुधन प्रदर्शनों तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन नियमित रूप से किया जाना चाहिए इससे न केवल प्रगतिशील पशुपालकों को प्रोत्साहन मिलता है, बल्कि अन्य किसानों को भी श्रेष्ठ गुणवत्ता के पशुओं को पालने की प्रेरणा मिलती है इसलिए इनका आयोजन पंजाब के पैटर्न पर प्रतिवर्ष किया जाना चाहिए।

5. पशुओं की आनुवंशिक क्षमता के उन्नयन के लिए सर्वश्रेष्ठ नरों के श्रेष्ठ हिमीकृत वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान को बड़े पैमाने पर कराए जाने की जरूरत है। वर्तमान में 60 प्रतिशत भैंसों का कृत्रिम गर्भाधान कराया जाता है, लेकिन ऐसा राज्य की सभी भैंसों के गर्भाधान के मामले में किया जाना चाहिए।

6. कृत्रिम गर्भाधान पर और अधिक बल देते हुए पशुओं में अंतर–प्रजनन या देसी पशुओं से गर्भाधान से बचा जाना चाहिए। इसके लिए प्रत्येक जिले में नियमित रोटेशन पर श्रेष्ठ नस्ल के सांड होने चाहिए। इसके साथ ही प्राकृतिक युग्मन के लिए प्रजननशील सांडों का रोटेशन से उपयोग किया जाना चाहिए।

7. श्रेष्ठ गुणवत्ता के पशुओं को पालने के लिए आहार और चारे पर अनुदान दिया जाना चाहिए क्योंकि पशुओं के आहार/आहार के घटकों की लागत तेजी से बढ़ रही है।

8. पशुओं के लिए शरण स्थल बनाने हेतु वर्तमान नियमों के अनुसार दिए जाने वाले प्रोत्साहनों का लाभ किसान नहीं उठा सकते हैं। पशु शरण स्थल बनाने के लिए दिए जाने वाले अनुदान हेतु भूमि के उपलब्ध होने के प्रावधान को वापस लिया जाना चाहिए क्योंकि इसमें कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां हैं।

9. फार्म स्वचालीकरण के उपकरणों/पशुपालन के कार्यों में सहायक युक्तियों को सस्ता बनाया जाए, इसकी बहुत जरूरत है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय यह कार्य करने के लिए संयुक्त रूप से योजना तैयार कर सकते हैं।

10. पशुओं को पेट के कीड़ों या कृमियों से मुक्त करने और उनके टीकाकरण की आवश्यकता है। खुरपका और मुंहपका रोग, एचएस और ब्रुसेलॉसिस जैसे रोगों का टीका अनिवार्य किया जाना चाहिए।

11. पशुओं के रोगों की रोकथाम के लिए उच्च गुणवत्तापूर्ण टीका उत्पादन की सुविधाओं को राज्य में सबल बनाया जाना चाहिए।

12. गोपशुओं में लिंग–भंडारित वीर्य के उपयोग की बहुत जरूरत है, विशेष रूप से संकर नस्ल के/एचएफ गोपशुओं के लिए तो यह और भी जरूरी है क्योंकि इसकी आवश्यकता की पूर्ति आयातित वीर्य से नहीं हो सकती है। इसलिए सरकार को वीर्य भंडारण की सुविधाएं स्थापित करने के लिए कदम उठाने चाहिए या इस क्षेत्र में अनुसंधान व विकास में निवेश करना चाहिए।

ख) मछली पालन

किसानों के लिए आर्थिक रूप से व्यावहारिक या पेशे के रूप में मछली पालन के क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं। यदि सहायता प्रदान की जाए तो प्रगतिशील किसान इस क्षेत्र में और सुधार ला सकते हैं। इस संबंध में संगोष्ठी की सिफारिशें निम्नानुसार हैं :

13. गांव के तालाबों को पट्टे पर देने की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष की जानी चाहिए, ताकि उद्यमी इन तालाबों को मछली पालन के लिए उचित रूप से विकसित कर सके। मात्स्यकी के लिए जल की दरें 240/–रु. प्रति घन फुट की वर्तमान दर से घटाकर कृषि/बागवानी के लिए निर्धारित 40/–रु. प्रति घन फुट की जानी चाहिए।

14. मछली बीज उत्पादन में अंतर प्रजनन की समस्या सामने आ रही है। देश के अन्य भागों से मछली जीरे को नियमित रूप से उपलब्ध कराकर इस समस्या को दूर किया जाना चाहिए।

15. मात्स्यकी या मछली पालन क्षेत्र को इसके विकास के लिए बागवानी के समान उचित प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए। मछली पालन के लिए पॉली हाउस तैयार करने हेतु अनुदान का प्रावधान उसी प्रकार किया जाना चाहिए जैसा बागवानी मिशन के अंतर्गत बागवानी के लिए किया गया है।

चिंतन सत्र : विभिन्न सत्रों की मुख्य सिफारिशें

अध्यक्ष : **डॉ. आर.एस.परोदा,** अध्यक्ष, हरियाणा किसान आयोग

सह–अध्यक्ष : **डॉ. के.डी.कोकाटे,** उप महानिदेशक, कृषि विस्तार, भा.कृ.अ.प., नई दिल्ली

संयोजक : **डॉ. इंदु शर्मा,** परियोजना निदेशक, गेहूं अनुसंधान निदेशालय, करनाल

चिंतन सत्र में युवाओं को कृषि के क्षेत्र में बनाए रखने के लिए की गई सभी महत्वपूर्ण सिफारिशों को शामिल किया गया। नौजवानों को खेती की ओर आकर्षित करने के लिए थिमेटिक प्रस्तुतीकरणों में जो मुद्दे, अवसर तथा भावी दिशाएं प्रस्तुत किए गए थे उनके अलावा तकनीकी सत्रों की प्रमुख बातों को भी विभिन्न सत्रों के संयोजकों द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रतिभागियों और वक्ताओं का यह सामान्य विचार था कि भारतीय कृषि को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा में बने रहना होगा और इसलिए इसे प्रौद्योगिकी पर आधारित बनाया जाना चाहिए। यह तर्क भी दिया गया कि खेती में अग्रगामी तथा पश्चगामी, दोनों स्तर के सम्पर्कों को विकसित करने की जरूरत है। स्पष्ट है कि इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में युवाओं को बनाए रखना जरूरी है क्योंकि वे प्रौद्योगिकी पर आधारित खेती को बढ़ावा देने पर ध्यान दे सकते हैं। इस सत्र से उभरकर आईं कुछ प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं :

1. सूचना संचार प्रौद्योगिकी, डेरी व पशुपालन, मधुमक्खी पालन, उच्च मूल्य वाली जिंसों की खेती, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन, पैकेजिंग, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, भंडारण, नर्सरी की देखभाल, बीजोत्पादन, यंत्रों की मरम्मत, जैविक खेती आदि जैसे सक्षम क्षेत्रों में ग्रामीण नौजवानों, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने की जरूरत है, ताकि उनमें उद्यमशीलता का विकास हो सके।

2. युवा वर्ग प्रौद्योगिकी एजेंट भी बन सकता है। उन्हें कुछ प्रमुख क्षेत्रों जैसे विशेषज्ञतापूर्ण कृषि, उच्च तकनीक वाली बागवानी, सुरक्षित खेती, नाशकजीव प्रबंधन या आईपीएम/जैविक नियंत्रण,

समेकित पोषक तत्व प्रबंधन, जैव कचरे का प्रबंधन, जैविक कचरे का प्रबंधन, जलसंभर प्रबंधन, पशुपालन, मछली पालन, किसानों का बाजार सम्पर्क आदि में ज्ञान सम्पन्न करके सशक्त बनाने की जरूरत है तथा उनकी इस क्षेत्र की कुशलताओं को और निखारा जाना चाहिए। कुछ अन्य सक्षम अवसर हैं : उत्पाद की ब्रांडिंग और विपणन, बीमा तथा कृषि–निर्यात प्रबंधन।

3. फार्म यंत्रों को किराए पर लेने व देने की सेवाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि छोटे खेतों के यंत्रीकरण के मिशन के साथ आगे बढ़ा जा सके। इसके लिए युवाओं को प्रौद्योगिकी सम्पन्न किया जाना चाहिए, तथा यंत्रों आदि को किराए पर देने के केन्द्र विकसित करने के लिए कर्ज की सुविधा दी जानी चाहिए।

4. ब्लॉक स्तरों पर कृषि क्लीनिक स्थापित करने की जरूरत है। कृषि/पशुचिकित्सा स्नातक ये क्लीनिक चला सकते हैं और इसके लिए युवाओं को बैंक की सहायता के लिए उपयुक्त परियोजनाओं हेतु वित्तीय सहायता देते हुए धन व ज्ञान दोनों से सम्पन्न किया जाना चाहिए।

5. 'कृषक सहकारिताएं, स्वयं सेवी समूह, कृषक क्लब तथा उत्पादक कंपनियों' सेवा की खिड़की प्रणाली के रूप में नई तकनीकों व प्रौद्योगिकियों के प्रचार–प्रसार में प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं और इस प्रकार वे नौजवानों को खेती की ओर आकर्षित कर सकते हैं। शुरूआती अवस्था में इन संगठनों को वित्तीय तथा बुनियादी ढांचे की सहायता प्रदान करने से सेवा खिड़कियां स्थापित करने में तेजी आएगी तथा युवाओं को रोजगार उपलब्ध होगा।

6. जो प्रगतिशील किसान संरक्षण कृषि तथा अन्य प्रकार की उच्च तकनीकी वाली खेती कर रहे हैं उनके फार्मों को 'श्रेष्ठता के केन्द्रों' के रूप में मान्यता प्रदान की जानी चाहिए, ताकि अन्य किसान स्वयं में आत्म–विश्वास पैदा करने के लिए इन स्थानों का भ्रमण कर सकें और प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। इससे संरक्षण कृषि को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिए जाने में सहायता मिलेगी।

7. महिलाएं खेती के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। ग्रामीण महिलाओं को नए ज्ञान व नई–नई तकनीकों से सशक्त करके नवयुवतियों को खेती में बनाए रखने से भारतीय कृषि को बहुत मदद मिलेगी। स्वयं सहायता समूहों, खेत पाठशालाओं व अन्य महिला सोसायटियों को सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करने व सहायता प्रदान करने की जरूरत है।

8. यह सुझाव दिया गया कि कृषि स्नातकों को निवेशों, कृषि यंत्रों व औजारों की बिक्री के लिए लाइसेंस देने की दृष्टि से विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, जैसा कि फार्मेसी के मामले में किया जा रहा है। इससे प्रौद्योगिकी के उचित हस्तांतरण और उत्पादकता को बढ़ाने हेतु गुणवत्तापूर्ण निवेशों के उपयोग में सहायता मिलेगी।

9. समेकित फार्मिंग प्रणाली के साथ–साथ परिनगरीय खेती, विशेष रूप से निर्यात उन्मुख फसलों सब्जियों और फूलों की खेती पर जोर देने से आजीविका सुरक्षा में बहुत मदद मिलेगी।

10. साढ़े सात किलो से अधिक दूध देने वाली गायों और भैंसों को क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराने का प्रस्ताव सराहनीय है, लेकिन गायों के लिए 40,000 रुपये और भैंसों के लिए 50,000 रुपये की राशि को उनका बाजार मूल्य देखते हुए कम माना गया। इस प्रकार, युवाओं को खेती की ओर आकर्षित करने के लिए इस राशि को संशोधित करने की आवश्यकता है।

11. गांव के तालाबों को पट्टे पर देने की अवधि पांच वर्ष से बढ़ाकर दस वर्ष की जानी चाहिए, ताकि उद्यमी इन तालाबों को मछली पालन के लिए उचित रूप से विकसित कर सके। मात्स्यकी के लिए जल की दरें 240/–रु. प्रति घन फुट की वर्तमान दर से घटाकर कृषि/बागवानी के लिए निर्धारित 40/–रु. प्रति घन फुट की जानी चाहिए।

12. मात्स्यकी या मछली पालन क्षेत्र को इसके विकास के लिए बागवानी के समान उचित प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए। मछली पालन के लिए पॉली हाउस तैयार करने हेतु अनुदान का प्रावधान उसी प्रकार किया जाना चाहिए जैसा बागवानी मिशन के अंतर्गत बागवानी के लिए किया गया है।

13. नई तकनीकों व प्रौद्योगिकियों से संबंधित ज्ञान प्रदान करने के लिए कृषि हेतु समर्पित टीवी चैनल आरंभ करने से युवाओं को खेती से जुड़ने की दिशा में प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी।

14. सदन का विचार था कि फार्म युवाओं और महिलाओं के लिए सक्षम नीतियां होनी चाहिए, ताकि उनमें जोखिम उठाने के लिए आत्म–विश्वास पैदा हो सके। इससे उन्हें कृषि संबंधी उद्यम आरंभ करने में सुविधा होगी।

अपनी समापन टिप्पणी में डॉ. आर. एस.परोदा ने कहा कि '**हमें स्थानीय सोच से ऊपर उठकर वैश्विक सोच वाला होना चाहिए**'। उन्होंने खेती को ज्ञान आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित पेशा बनाने पर बल दिया। उनका विचार था कि स्कीमों और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए अब नीतिकारों–

वैज्ञानिकों–खेती से जुड़े युवाओं के बीच सबल सम्पर्क होना चाहिए जिससे खेती में रोजगार सृजित करने में मदद मिल सकती है। उन्होंने कहा कि हमारे युवा सम्मान के साथ कार्य करना चाहते हैं, अतः हमें खेती के पेशे को आधुनिक बनाना चाहिए। उनका कहना था कि हरियाणा सरकार ने कृषि नवोन्मेष निधि (Innovation Fund) स्थापित करके नव–प्रवर्तक या नई–नई खोजें करने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने की दिशा में कदम उठा लिए हैं। उल्लेखनीय है कि यह निधि हरियाणा किसान आयोग द्वारा परिचालित होगी। इस धनराशि का उपयोग उन किसानों/खेती से जुड़े युवक और युवतियों को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाएगा जो अपनी खेती में कुछ नया करते हैं, लेकिन इसके लिए इन नई खोजों का सत्यापन होना तथा जन–सामान्य के लिए इन्हें स्थितियों के अनुकूल ढालने की जरूरत है।

डॉ. परोदा का विचार था कि कृषि में अवसरों की कमी नहीं है। डॉ. के.डी.कोकाटे, डॉ. ए.के. श्रीवास्तव, डॉ. एम.एल.जाट, डॉ. अर्जुन सिंह सैनी, डॉ. जे.एस.संधु, डॉ. के.एम.एल.पाठक, डॉ. डी.के. शर्मा, ने युवा किसानों के अनुभवों को सुनकर ऐसे ही विचार व्यक्त किए। तथापि, डॉ. परोदा ने इस बात पर बल दिया कि खेतिहर युवाओं के प्रशिक्षण के लिए एक प्रभावी प्रणाली की जरूरत है। उनके विचार से हरियाणा की कृषि में विविधता की बहुत आवश्यकता है। इसमें स्वरोजगार के अवसर पैदा करने तथा खेती से जुड़े युवाओं की आमदनी बढ़ाने की क्षमता होनी चाहिए। उन्होंने अपेक्षा की कि नीति–निर्माता समेकित विपणन अभिमुख विकास (आईएमओडी) के लिए युवा वर्ग विशेषकर महिलाओं की सहायता करेंगे।

डॉ. परोदा ने यह आश्वासन दिया कि हरियाणा किसान आयोग युवाओं से जुड़े सभी मुद्दों पर विचार करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि कृषि के भावी विकास के लिए युवाओं को सक्रिय रूप से शामिल करने की दृष्टि से उन्हें वांछित वित्तीय, तकनीकी व नीतिगत सहायता उपलब्ध कराई जाए।

संगोष्ठी में विचार व्यक्त करने वाले किसानों के नाम व पते

क्र.सं.	किसान का नाम	पता	मोबाइल नं.
1	श्री हरप्रीत सिंह	ग्राम व डाकघर, बीर नारायण, करनाल	9466242313
2	श्री मनोज कुमार	ग्राम व डाकघर, तरावड़ी, करनाल	9416311118
4	श्री हरविंदर सिंह	ग्राम व डाकघर, सिजातपुर, लाडवा, कुरूक्षेत्र	9812133325
5	श्री अमरीक मलिक	ग्राम व डाकघर, हजवाना, पुंडरी,करनाल	9215130500
6	श्री विकास चौधरी	ग्राम व डाकघर, तरावड़ी, करनाल	9416032593
7	श्री बिजेन्द्र फोर	ग्राम व डाकघर, शेखपुरा, करनाल	9996025129
8	श्री दिनेश कुमार	ग्राम व डाकघर, मनोली, सोनीपत	9813903850
9	श्री जगबीर सिंह	ग्राम व डाकघर, बाबल, पानीपत	9416048770
10	श्री गुरचरण सिंह	ग्राम व डाकघर, तुंगवाला, भटिंडा	9814749406
11	श्री गुरप्रीत सिंह	पटियाला	9872624256
12	श्री विकास बेनल	सोलन, हिमाचल प्रदेश	9418027651
13	श्री सुल्तान सिंह	ग्राम व डाकघर, बुटाना, तहसील नीलोखेड़ी, करनाल	9812032544
14	श्री सुरजीत मलिक	ग्राम व डाकघर, उमरा, हांसी, हिसार	9813542477
15	श्री युवराज सिंह	भिवानी मार्ग, रोहतक	

कार्यक्रम

संगोष्ठी

'कृषि में युवाओं के लिए अवसर' 21 दिसम्बर 2013

स्थान : सम्मेलन कक्ष, दूरस्थ शिक्षा निदेशालय, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक

21 दिसम्बर 2013

0900.0930	**पंजीकरण**	
0930.1100	**उद्घाटन व तकनीकी सत्र I : कृषि में युवाओं को आकर्षित करने के लिए मुद्दों, अवसरों व भावी दिशा पर मुख्य प्रस्तुतीकरण** **मुख्य अतिथि व अध्यक्ष** : डॉ. आर.एस.परोदा, अध्यक्ष, हरियाणा किसान आयोग **संयोजक** : डॉ. एम.एल.जाट, दक्षिण एशिया समन्वयक, सिमिट–सीसीएएफएस डॉ. ए.एम. नरूला, आंचलिक परियोजना निदेशक, भा.कृ.अ.प.	
0930.0935	स्वागत	डॉ. आर.एस.दलाल, सदस्य–सचिव, हरियाणा किसान आयोग
0935.0950	फार्म युवाओं के लिए उभरते हुए अवसर : सफलता की कुछ कहानियां	डॉ. के.डी. कोकाटे, उप महानिदेशक (कृषि विस्तार), भा.कृ.अ.प.
0950.1005	पशुपालन में फार्म युवाओं के लिए आजीविका के अवसर – पशुधन उत्पादन से आगे बढ़ना	डॉ. ए.के.श्रीवास्तव, निदेशक, राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल
1005.1020	संसाधनों की बचत तथा आय के लिए संरक्षण कृषि	डॉ. एम. एल. जाट, दक्षिण एशिया समन्वय, सीमिट – सीसीएएफएस
1020.1035	गौण/विशेषज्ञतापूर्ण कृषि के माध्यम से खेतिहर युवाओं के लिए आजीविका के अवसर	डॉ. अर्जुन सिंह सैनी, महानिदेशक, बागवानी विभाग, हरियाणा सरकार
1035.1100	मुख्य अतिथि का सम्बोधन	डॉ. आर.एस. परोदा, अध्यक्ष, हरियाणा किसान आयोग
1100.1105	धन्यवाद ज्ञापन	श्री बिजेन्दर सिंह, आईएएस, निदेशक, कृषि हरियाणा सरकार
1105.1130	**चाय पान**	
1130.1300	**तकनीकी सत्र II : अनुकूलनशील फसल प्रणाली तथा आय सृजन के लिए युवा किसानों की नई खोजें** **अध्यक्ष** : डॉ. जे.एस. संधु, कृषि आयुक्त, भारत सरकार **संयोजक** : डॉ. एस.एस. सिवाच, निदेशक, विस्तार, सीसीएसएचएयू डॉ. राजवीर सिंह, प्रधान वैज्ञानिक (प्राकृतिक संसाधन प्रबंध), भा.कृ.अ.प.	
1130.1140	कृषक 1 : संरक्षण कृषि में नई खोजें	श्री हरप्रीत सिंह
1140.1150	कृषक 2 : संरक्षण कृषि	श्री मनोज कुमार
1150.1200	कृषक 3 : अनुकूलनशील फसल विविधीकरण के लिए नई खोजें	श्री हरविंदर सिंह
1200.1210	कृषक 4 : अनुकूलनशील कपास–गेहूं उत्पादन प्रणाली के लिए नई खोजें	श्री अमरीक सिंह
1210.1220	कृषक 5 : पोषक तत्व प्रबंध की नई विधियां	श्री विकास चौधरी
1230.1300	खुली चर्चा और मुख्य सिफारिशें	सभी
1330.1430	**भोजन अवकाश**	

1430.1545	**तकनीकी सत्र III : युवाओं के बाजार सम्पर्क के माध्यम से गौण तथा विशेषज्ञतापूर्ण कृषि में खेतिहर युवाओं के लिए आजीविका के अवसरों पर युवा किसानों के अनुभव** **अध्यक्ष** : डॉ. आर. एस. परोदा **सह–अध्यक्ष** : डॉ. एम.एल. चड्ढा और डॉ. अर्जुन सिंह, महानिदेशक, बागवानी, हरियाणा सरकार **संयोजक** : डॉ. डी.के. शर्मा, निदेशक, केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल डॉ. यश पाल सहरावत	
1430.1440	कृषक 1 : सब्जियों की सुरक्षित खेती	श्री बिजेन्दर फोर
1440.1450	कृषक 2 : पुष्पों की खेती और विविधीकरण	श्री गुरप्रीत सिंह शेरगिल
1450.1500	कृषक 3 : विशेषज्ञतापूर्ण फसलें : बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न, खुम्बी आदि	श्री अर्जुन / श्री दिनेश श्री विकास बेनल
1500.1510	कृषक 4 : मधुमक्खी पालन	श्री गुरचरण सिंह मान
1510.1540	खुली चर्चा और मुख्य सिफारिशें	सभी
1540.1600	चाय पान	सभी
1600.1715	**तकनीकी सत्र IV : पशुपालन में खेतिहर युवाओं के लिए आजीविका के अवसरों पर युवा किसानों के लिए अवसर – पशुधन उत्पादन से आगे बढ़ना** **सह–अध्यक्ष** : डॉ. के.एम.एल. पाठक, उप महानिदेशक, पशुविज्ञान, भा.कृ.अ.प. और डॉ. जी.एस.जाखड़, महानिदेशक, पशुपालन, हरियाणा सरकार **संयोजक** : डॉ. इन्द्रजीत सिंह, निदेशक, केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान	
1600.1615	कृषक 1 : पशु प्रजनन में नए स्तर	श्री सुरजीत सिंह मलिक
1615.1630	कृषक 2 : डेरी पालन में अवसर	श्री युवरात खुराना
1630.1645	कृषक 3 : अंतर–स्थलीय मछली उत्पादन में नई खोजें	श्री सुल्तान सिंह
1645.1715	खुली चर्चा और मुख्य सिफारिशें	सभी
1715.1830	**समापन सत्र : विभिन्न सत्रों की प्रमुख सिफारिशें** **अध्यक्ष** : डॉ. आर.एस. परोदा, अध्यक्ष, हरियाणा किसान आयोग **सह–अध्यक्ष** : डॉ. के.डी. कोकाटे, उप महानिदेशक, कृषि विस्तार, भा.कृ.अ.प. **संयोजक** : डॉ इंदु शर्मा, निदेशक, गेहूं अनुसंधान निदेशालय	
1715.1725	सत्र I	डॉ. एम.एल. जाट
1725.1735	सत्र II	डॉ. एस.एस. सिवाच
1735.1745	सत्र III	डॉ. डी.के. शर्मा
1745.1800	सत्र IV	डॉ. इन्द्रजीत सिंह
1800.1810	सह अध्यक्ष की टिप्पणी	डॉ. के.डी.कोकाटे
1810.1825	अध्यक्ष की टिप्पणी	डॉ. आर.एस.परोदा, अध्यक्ष, हरियाणा किसान आयोग
1825.1830	धन्यवाद ज्ञापन	डॉ. आर.एस.दलाल, सदस्य–सचिव, हरियाणा किसान आयोग

Printing Centre, Chandigarh 0172-2702384